अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2003

का.आ. 899(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 4 जनवरी,2000 की अधिसूचना सं0 सा0 आ0 10(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने कथा, ए-3, द्वितीय तल,,सर्वोदय एन्क्लेव अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली-110017, द्वारा कथा खजाना, दिल्ली नगर निगम स्लम विभाग के प्रदर्शन ब्लाक, भूमिहीन, नवजीवन और नेहरू कैम्प्स गोविन्दपुरी, कालकाजी विस्तार, नई दिल्ली-19 में शैक्षिक तथा विकासात्मक कार्यक्रम को चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 7 पर विनिर्दिष्ट किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथा, ए-3, द्वितीय तल,,सर्वोदय एन्कलेव अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली-110017,द्वारा कथा खजाना, दिल्ली नगर निगम स्लम विभाग के प्रदर्शन ब्लाक, भूमिहीन, नवजीवन और नेहरू कैम्प्स गोविन्दपुरी, कालकाजी विस्तार, नई दिल्ली-19 में शैक्षिक तथा विकासात्मक कार्यक्रम को चलाने

की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र तीन करोड़ चौरासी लाख चौसठ हजार रूपए (दो करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित) की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 195-2003/फा. सं. एन.सी. 151/2003]

ए. जे. मजूमदार, सचिव (राष्ट्रीय समिति)